



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्यैष्ठ 17, 1932

No. 154]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

उद्देशिका

उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों को विद्युत के निर्बाध प्रवाह के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण लाइनों की दक्ष, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली का विकास सुनिश्चित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के कृत्य निहित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा संकल्प संख्या 23/20/2004-आरएंडआर (वालयूम 15) तारीख 12-1-2005 द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति का पैरा 5.3.2 यह उपबंध करता है कि "नेटवर्क विस्तार आयोजना तथा कार्यान्वयन उन प्रत्याशित पारेषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किया जाना चाहिए जो निर्बाध पहुंच तंत्र में प्रणाली के आनुषंगिक होगी। फायदाग्राहियों के साथ पूर्व करार नेटवर्क विस्तार के लिए एक पूर्व शर्त होगी, सीटीयू/एसटीयू को पणधारियों के परामर्श से तथा सम्यक् विनियामक अनुमोदन के पश्चात् निष्पादन करने की अपेक्षाओं की पहचान करने के पश्चात् नेटवर्क विस्तार आरम्भ करना चाहिए।" केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, जिसे विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति निहित की गई है, राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप नेटवर्क विस्तार के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को विनियामक अनुमोदन देने वाली प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए इन विनियमों को बना रहा है।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2010

फा. सं. एल-1/41/2010-केंविआ.—केन्द्रीय विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उप-धारा (2) के उप-खण्ड (1) तथा उप-खण्ड (2) के खण्ड 2173 GI/2010

(यड) के साथ पठित धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की अंतर-राज्यिक पारेषण स्कीम के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), जिसमें उसके संशोधन भी है, अभिप्रेत है;

(ख) उत्पादन आईएसटीएस स्कीम की बाबत "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय उत्पादन केंद्रों, विदेशी सरकार तथा भारत सरकार के सहयोग से ऐसी उत्पादन परियोजनाओं में भागीदारी है जिसकी ऊर्जा का आबंटन फायदाग्राहियों को भारत सरकार द्वारा किया जाता है, अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजनाएं (यूएमपीपी) या दीर्घ-कालिक पहुंच के माध्यम से उत्पादन केंद्र से विद्युत क्रय करने वाला व्यक्ति तथा प्रणाली सुदृढीकरण आईएसटीएस स्कीमों के संबंध में, ऐसी स्कीमों का पहचाना गया उपभोक्ता अभिप्रेत है;

(ग) "सीटीयू" से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता अभिप्रेत है।

- (घ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "उत्पादक" से केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उत्पादन कम्पनियों के उत्पादन केंद्र, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) तथा कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र (सीपीपी) अभिप्रेत तथा सम्मिलित हैं;
- (ङ) "आईएसटीएस स्कीम" से भारतीय विद्युत योजना के अनुरूप अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के विकास के लिए कोई भी स्कीम अभिप्रेत है;
- (च) "राष्ट्रीय विद्युत योजना" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (44) में है;
- (छ) "परियोजना आरम्भ रिपोर्ट" से अंतर-राज्यिक पारेषण स्कीमों के संबंध में सीटीयू द्वारा तैयार प्रारंभिक रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें लागत-फायदा विश्लेषण के साथ स्कीम के उद्देश्य/न्यायोचित्य, कार्य की परिधि, उत्पादन परियोजनाओं के ब्यौरे तथा उत्पादन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की दशा में उनके लक्ष्य फायदाग्राही या क्षेत्र, परियोजनाओं को चालू करने के लिए समय-सीमा, वैसी ही पारेषण प्रणाली तत्वों के नवीनतम तय कीमतों के लिए व्युत्पन्न यूनिट दर, उपयोक्ताओं की सहमति/निष्कर्ष सम्मिलित होंगे;
- (ज) "उपभोक्ता" से उत्पादन कम्पनी, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी है, या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केंद्रीय पारेषण उपयोगिता तथा राज्य पारेषण उपयोगिता से भिन्न) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे थोक उपभोक्ता जैसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके उत्पादन संयंत्र 33 केवी और उससे ऊपर के वोल्टता स्तर पर आईएसटीएस जुड़े हैं।
- (2) इसमें प्रयुक्त शब्दों या अभिव्यक्तियों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम, नियम या अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों में हैं।

3. विस्तार तथा लागू होना.—(1) ये विनियम—

- (i) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रस्तावित ऐसी आईएसटीएस स्कीमों को लागू होंगे जिनके लिए उत्पादकों ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण की संयोजकता, दीर्घकालिक तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच) विनियम, 2009 के अनुसार दीर्घ-कालिक पहुंच मांगी गई है तथा जिसके लिए, यदि पहले ही पहचानी गई हो, आईएसटीएस स्कीम तैयार करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा फायदाग्राहियों के साथ परामर्श किया गया है, किन्तु जिसके लिए सभी फायदाग्राहियों के साथ आवेदन की तारीख को ऊर्जा क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए हों।
- (ii) क्षेत्र के भीतर तथा बाहर विद्युत के विश्वसनीय, दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी प्रवाह को समर्थ बनाने के लिए केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा पहचानी गई प्रणाली सुदृढीकरण/उन्नयन के लिए आईएसटीएस स्कीम को लागू

होंगे जिसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा फायदाग्राहियों, यदि पहचाने गए हों, के साथ परामर्श किया गया हो।

(2) ये विनियम उन आईएसटीएस स्कीम को लागू होंगे जिसके लिए सभी फायदाग्राहियों/संबंधित एसटीयू ने पारेषण प्रभारों के शेयर के लिए थोक ऊर्जा पारेषण करार पर हस्ताक्षर किए गए हों।

4. आवेदन फाइल करने के लिए प्रक्रिया.—(1) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता परियोजना आरम्भ रिपोर्ट के साथ पहचानी गई आईएसटीएस स्कीम के विनियामक अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी।

(2) परियोजना आरम्भ रिपोर्ट अन्य ऐसी सुसंगत आईएसटीएस स्कीमों के साथ समाधान योग्य होनी चाहिए जिनकी केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा योजना बनाई जा रही हो या निष्पादित की जा रही हो तथा इसमें पारेषण अवरोध, पारेषण प्रणाली में मार्जिन, निर्बाध पहुंच प्रणाली में प्रणाली के आनुषंगिक प्रत्याशित पारेषण आवश्यकता, मांग प्रक्षेपण, नेटवर्क विश्वसनीयता तथा डिजाइन मानदंड के तत्व के रूप में ऐसे अन्य प्रतिफल भी सम्मिलित हो सकेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 39 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) में उल्लिखित इकाइयों/निकाय के समन्वय से स्कीम तैयार की जाएगी।

(4) परियोजना आरम्भ रिपोर्ट में प्रस्तावित आईएसटीएस स्कीम की परिधि तथा विस्तार, लागत फायदा विश्लेषण द्वारा समर्थित विस्तृत न्यायोचित के साथ इन विनियमों में उल्लिखित मूल्यांकन मानदण्ड के साथ इसकी अनुरूपता स्पष्ट रूप से दर्शित की जाएगी।

(5) परियोजना आरम्भ रिपोर्ट के साथ इस विनियम के खण्ड (3) के अधीन यथा अपेक्षित स्कीम में अंतर्विष्ट ब्यौरे के समर्थन में ऐसी जानकारी, विशिष्टियां तथा दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे जिसमें पारेषण प्रणाली योजना संबंधी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थायी समिति की बैठक के उपलब्ध कार्यवृत्त सम्मिलित होंगे जो आईएसटीएस स्कीम के निर्धारण को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हो।

(6) परियोजना आरम्भ रिपोर्ट में इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्ररूप में यथा उल्लिखित स्कीम के विभिन्न पहलू भी होने चाहिए। आयोग आईएसटीएस के बारे में ऐसे अन्य ब्यौरे की मांग कर सकेगा जो ऐसी स्कीम के मूल्यांकन के लिए समुचित समझे जाएं।

(7) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता आयोग के समक्ष आवेदन करने के सात दिन के भीतर अपनी वेबसाइट पर इसके अनुलगनकों और संलग्नकों, यदि कोई हों, के साथ पूर्ण आवेदन को अपनी वेबसाइट पर डालेगा तथा प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए दो प्रमुख समाचारपत्रों में स्कीम की संक्षिप्त विशिष्टियों के साथ आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा :

परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर प्रकाशन के समर्थन में समाचारपत्रों के सुसंगत संस्करणों की प्रतियां आयोग को प्रस्तुत करेगा।

5. मूल्यांकन मानदण्ड.—आईएसटीएस स्कीमों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा :

- (i) पारोषण स्कीम के लिए आवश्यकता—
 - (क) तकनीकी न्यायोचित
 - (ख) आवश्यकता
 - (ग) विनिधान का प्रज्ञावान
- (ii) लागत निर्धारण तथा कार्यान्वयन की संभव फेजिंग
- (iii) प्रस्तावित आईएसटीएस स्कीम के उपयोक्ताओं को लागत-फायदा ।

6. प्रस्तावित आईएसटीएस स्कीम का विनियामक अनुमोदन.—(1) केंद्रीय पारोषण उपयोगिता से सभी दशा में आवेदन की प्राप्ति पर आयोग आवेदन के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप/सुझावों, प्रस्तावित व्यय का प्रज्ञावान तथा टैरिफ पर प्राक्कलित प्रभाव पर विचार करेगा तथा तत्पश्चात्,—

- (क) ऐसे उपांतरणों या शर्तों के साथ आईएसटीएस स्कीम को विनियामक अनुमोदन देगा जो आयोग समुचित समझे; या
- (ख) लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द करेगा; या
- (ग) केंद्रीय पारोषण उपयोगिता से ऐसी विशिष्टियों के साथ ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् एक नया आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा जैसा आयोग निदेश दे :
परंतु यह कि बेजों के परिवर्धन, विद्यमान लाइन के लूप-इन तथा लूप-आउट जैसी छोटी प्रकृति के अनुमोदित स्कीम के कार्य की परिधि तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/राज्य पारोषण उपयोगिताओं से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् क्षेत्र अपेक्षा प्रस्ताव पर निर्भर रहने वाले ऐसे अन्य विषय में किसी परिवर्तन के लिए केंद्रीय पारोषण उपयोगिता आयोग को सूचना देते हुए ऐसे परिवर्तनों को लागू करेगा तथा उन्हें टैरिफ याचिका में दर्शित करेगा ।

(2) केंद्रीय पारोषण उपयोगिता केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारोषण के लिए संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर विचार करते हुए समन्वित रीति से अनुमोदित आईएसटीएस स्कीम के पारोषण तत्त्ववार का कार्यान्वयन करेगा :

परंतु यह कि प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम के तत्वों का कार्यान्वयन आरंभिक अनुसूची के अनुसार किया जाएगा :

परंतु यह और कि यथा साध्य, एक उत्पादन परियोजना का विनिर्दिष्ट तत्व उस परियोजना के साथ मिलाया जाएगा तथा एक से अधिक उत्पादन परियोजना के सामान्य तत्व को पहले एक से मिलाया जाएगा तथा तदनुसार स्कीम को कार्यान्वित किया जाएगा ।

7. अनुमोदित पारोषण स्कीम के प्रभारों की वसूली.—

(1) इन विनियमों के विनियम 8 के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित आईएसटीएस स्कीम के पारोषण टैरिफ का अवधारण अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ के निर्बंधन तथा शर्तों

संबंधी अभिभावी विनियमों के अनुसार किया जाएगा;

(2) इस विनियम के खण्ड (1) के अनुसार अवधारित आईएसटीएस स्कीम के टैरिफ का वहन स्कीम के उपयोगिताओं द्वारा किया जाएगा;

(3) आईएसटीएस स्कीम के उपयोक्ताओं के बीच पारोषण प्रभारों की भागीदारी की पद्धति ऐसी भागीदारी पद्धति पर आधारित होगी जो आयोग द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट की जाए ।

8. शिथिल करने की शक्ति.—आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् स्व-प्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

9. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.—यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो आयोग, आदेश द्वारा अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबंधों के असंगत ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाएं ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

परिशिष्ट-1

आईएसटीएस स्कीम के विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाला प्ररूप

क. दी जाने वाली विशिष्टियां

1. शीर्षक (स्कीम का नाम)
2. कार्य की परिधि का सारांश
3. उद्देश्य/न्यायोचित
4. प्राक्कलित लागत
5. आगामी पांच वर्षों के लिए टैरिफ का प्राक्कलित प्रभाव

ख. परियोजना आरम्भ रिपोर्ट में दी जाने वाली विशिष्टियां

1. शीर्षक (स्कीम का नाम)
2. प्राक्कलित लागत
3. संक्षिप्त में कार्य का विस्तार (प्रमुख मदें)
4. उद्देश्य/न्यायोचित

अर्थात्

- (i) भार वृद्धि को रोकने के लिए
- (ii) नए उपभोक्ता की कैटरिंग के लिए
- (iii) विश्वसनीयता में सुधार

5. लागत-फायदा विश्लेषण जिसमें लघु-अवधि मितव्ययी फायदा भी है

6. स्कीम के कार्यान्वयन की समय-सीमा/फेजिंग

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION**

PREAMBLE

The Central Transmission Utility has been vested with the functions under sub-clause (c) of sub-section (2) of Section 38 of the Electricity Act, 2003 (the Act) to ensure development of an efficient, co-ordinated and economical system of Inter-State transmission lines for smooth flow of electricity from the generating stations to the load centres. Para 5.3.2 of the National Electricity Policy notified by the Central Government under Section 3 of the Act *vide* Resolution No. 23/40/2004-R and R (Vol. II), dated 12-1-2005 provides that "network expansion should be planned and implemented keeping in view the anticipated transmission needs that would be incident on the system in the open access regime. Prior agreement with the beneficiaries would not be a pre-condition for network expansion CTU/STU should undertake network expansion after identifying the requirements in consultation with stakeholders and taking up the execution after due regulatory approval." The Central Commission which has been vested with the power under clause (c) of sub-section (1) of Section 79 of the Act to regulate the Inter-State transmission of electricity is making these regulations to streamline the procedure for according regulatory approval to Central Transmission Utility for network expansion in consonance with the National Electricity Plan.

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2010

F. No. L-1/41/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 79 read with sub-section (1) and clause (ze) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations namely :

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Regulatory Approval for Execution of Inter-State Transmission Scheme to Central Transmission Utility) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires :

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;
- (b) "beneficiary" in respect of the generation ISTS Scheme means a person having a share in a Central Generating Stations, generation projects under collaboration between a foreign Government and Government of India whose

allocation of power to beneficiaries are finalised by the Government of India, Ultra Mega Power Projects (UMPPs) or a person purchasing electricity from a generating station through long-term access, and in respect of the System Strengthening ISTS Scheme means the identified users of such scheme;

- (c) "CTU" means the Central Transmission Utility as defined in sub-section (10) of Section 2 of the Act;
- (d) "Generators" for the purpose of these regulations mean and include generating stations of generating companies owned or controlled by Central Government, Independent Power Producers (IPPs) and Captive Power Plants (CPPs);
- (e) "ISTS Scheme" means any scheme for development of Inter-State transmission systems in consonance with the National Electricity Plan.
- (f) "National Electricity Plan" has the meaning as assigned to it in sub-section (44) of Section 2 of the Act;
- (g) "Project Inception Report" means a preliminary report prepared by CTU on the Inter-State transmission scheme(s) covering the objective/justification of the Scheme, with cost-benefit analysis, scope of work, details of generation projects and their target beneficiaries or region in case of generation specific projects, time frame for commissioning of the projects, broad estimated cost based upon the unit rate derived from the latest awarded prices of similar transmission system elements, consent/outcome of consultation with the Users;
- (h) "user" means a person such as a Generating Company including Captive Generating Plant or Transmission Licensee (other than the Central Transmission Utility and State Transmission Utility) or Distribution Licensee or Bulk Consumer, whose electrical plant is connected to the ISTS at a voltage level 33 kV and above.

(2) Words or expressions used herein and not defined shall have the meaning as assigned to them in the Act, Rules or other Regulations specified by the Commission under the Act.

3. Scope and applicability.—(1) These regulations shall apply to :

- (i) an ISTS Scheme proposed by Central Transmission utility, for which generators have sought long-term access as per the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-Term Access and Medium Term Open Access to the Inter-State Transmission and Related Matters) Regulations,

2009, and for which consultation with Central Electricity Authority and beneficiaries if already identified has been held for setting up the ISTS Scheme, but for which Power Purchase Agreements with all the beneficiaries have not been signed on the date of application.

- (ii) an ISTS Scheme for system strengthening/up-gradation, identified by Central Transmission Utility to enable reliable, efficient, co-ordinated and economical flow of electricity within and across the region for which consultation with Central Electricity Authority and beneficiaries if identified has been held.

(2) These regulations shall not apply to ISTS Scheme, for which all the beneficiaries/respective STUs have signed Bulk Power Transmission Agreement to share the transmission charges.

4. Procedure for Filing of Application.—(1) The Central Transmission Utility may file application before the Commission for regulatory approval of identified ISTS Scheme along with Project Inception Report.

(2) The Project Inception Report should be reconcilable with other relevant ISTS Schemes being planned or executed by the Central Transmission Utility and may include such other considerations as elimination of transmission constraints, margins in transmission system, anticipated transmission needs incident on the system in the open access regime, demand projections, network reliability and design criteria.

(3) The Scheme shall be planned in co-ordination with the entities/bodies mentioned in sub-clause (b) of clause (2) of Section 38 of the Act.

(4) The Project Inception Report shall clearly outline the scope and objectives of the proposed ISTS Scheme, its conformity with the evaluation criteria mentioned in these regulations with detailed justification supported by cost benefit analysis.

(5) The Project Inception Report shall be accompanied by such information, particulars and documents to support the details contained in the scheme including technical reports, project justification, estimated cost, details of consultation as required under clause (3) of this regulation including available minutes of meeting of the Standing Committee of Central Electricity Authority on Transmission System Planning, as may be required to enable assessment of the ISTS Scheme.

(6) The Project Inception Report should address the various aspects of the ISTS Scheme as set out in the format enclosed as Appendix I to these regulations. The Commission may seek such other details about the ISTS Scheme as may be considered appropriate for evaluation of such scheme.

(7) The Central Transmission Utility shall within seven days of making an application to the Commission post the complete application along with annexures and

enclosures, if any, on its website and publish a notice of the application with brief particulars of the scheme, in two leading national newspapers inviting objections/suggestions within a period of one month from the date of publication :

Provided that the Central Transmission Utility shall submit to the Commission, copies of the relevant editions of the newspapers, in support of the publication, within a period of 7 days from the date of publication.

5. Evaluation criteria.—The ISTS Schemes shall be evaluated on the basis of the following criteria :

- (i) Need for the transmission scheme
 - (a) Technical justification
 - (b) Urgency
 - (c) Prudence of the investment
- (ii) Cost Assessment and possible phasing of implementation
- (iii) Cost-benefit to the users of the proposed ISTS Scheme.

6. Regulatory Approval of Proposed ISTS Scheme.—(1) The Commission shall, on receipt of the application, complete in all respect from the Central Transmission Utility, consider the objections/suggestions received in response to the publication of the application, the prudence of the proposed expenditure and estimated impact on tariff and thereafter, shall :

- (a) accord regulatory approval to the ISTS Scheme with such modifications or conditions as the Commission may deem appropriate; or
- (b) reject the application for reasons to be recorded in writing; or
- (c) require the Central Transmission Utility to submit a fresh application with such particulars and after considering such factors as the Commission may direct :

Provided that for any change in scope of work of the approved scheme of minor nature like addition of bays, loop-in and loop-out of existing line, and such other matters depending on field requirement, proposal after due consultation in the Central Electricity Authority/State Transmission Utilities, the Central Transmission Utility shall go ahead with the implementation of such changes under intimation to the Commission and shall reflect the same in tariff petition thereof.

(2) The Central Transmission Utility shall implement the transmission elements out of the approved ISTS Scheme in a coordinated manner considering the progress of the generation project(s) in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium term open access to the Inter-State Transmission and Related Matters) Regulations, 2009 :

Provided that elements of System Strengthening Scheme shall be implemented as per initial schedule :

Provided further that, as far as possible, elements specific to one generation project shall be matched with that project and elements common to more than one generation project shall be matched with the first one and the scheme shall be implemented accordingly.

7. Recovery of charges of approved Transmission Scheme.—(1) The transmission tariff of the ISTS Scheme approved by the commission under Regulation 8 of these regulations shall be determined in accordance with the prevailing regulations on terms and conditions of tariff specified by the Commission under Section 61 of the Act.

(2) The tariff of the ISTS Scheme determined in accordance with clause (1) of this regulation shall be borne by the users of the Scheme.

(3) The method of sharing of transmission charges among the users of the ISTS Scheme shall be based on the sharing methodology as may be specified by the Commission from time to time.

8. Power to Relax.—The Commission may, by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by any aggrieved person.

9. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by order, issue such directions, not inconsistent with the provisions of the Act and these regulations, which may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

ALOK KUMAR, Secy.
[ADVT. III/4/150/10-Exty.]

APPENDIX-I

**FORMAT FOR SUBMITTING THE APPLICATION
FOR REGULATORY APPROVAL OF THE ISTS
SCHEME**

A. Particulars to be furnished

1. Title (Name of Scheme)
2. Brief Scope of Work
3. Objective/Justification
4. Estimated Cost
5. Estimated impact on tariff for next five years

B. Particulars to be furnished in the Project Inspection Report

1. Title (Name of Scheme)
2. Estimated Cost
3. Scope of Work in brief (major items)
4. Objective/justification e.g. (i) To meet load growth
(ii) For catering new consumer
(iii) Improvement in reliability
5. Cost-benefit analysis including Long-term economic advantage
6. Time Frame/Phasing of the implementation of the scheme.